[2023] 1 एस. सी. आर. 1099

/

ई. जे. ई. वी. एन. ए. एन. डी. एम. बनाम

एन. कोटेश्वर राव और ओआरएस।

(2017 की विशेष अवकाश याचिका (सी) No.27337) 23 जनवरी, 2023

/

[डॉ**.** धनंजय वाई**.** चंद्रचूड़**,** सीजेआई**,**

वी**.** रामसुब्रमणियन और जे**.** बी**.** पारदीवाला**,** जे**.** जे**.]**

सार्वजनिक सुविधा-क्षेत्र में मलजल निकासी की सुविधा-जिस भूमि पर प्रस्तावित मलजल निकासी लाइन बिछाने की मांग की गई थी, उस पर याचिकाकर्ता का दावा-स्थानीय निकाय द्वारा सड़कों की सूची वाले क्षेत्र में मलजल निकासी की सुविधा प्रदान करने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया गया था-याचिकाकर्ता ने 2011 में संपत्ति खरीदी, जिसमें वह सड़क भी शामिल थी, जिस पर प्रस्तावित मलजल निकासी लाइन बिछाने की मांग की गई थी-मलजल निकासी का मुख्य मार्ग 110 मीटर (याचिकाकर्ता की भूमि) की सीमा को छोड़कर ऊपर और नीचे दोनों ओर रखा गया था-मुकदमे के विभिन्न दौर के बाद, उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने राज्य सरकार को एक बेहतर विकल्प चुनने का निर्देश दिया ताकि याचिकाकर्ता की भूमि में मलजल निकासी मुख्य और मलजल पम्पिंग स्टेशन बिछाकर याचिकाकर्ता को होने वाले नुकसान को कम किया जा सके -रोक के आदेश के अभाव में, सीवेज लाइन बिछाने का काम पूरा हो गया था-बोर्ड द्वारा किया गया विकास कार्य क्षेत्र के निवासियों के लिए एक सार्वजनिक सुविधा के रूप में है-याचिकाकर्ता का अधिकार संदेह से मुक्त नहीं है क्योंकि यह एक नागरिक विवाद का विषय है-डिवीजन बेंच के आक्षेपित आदेश को दरकिनार करने से और जटिलताएं पैदा होंगी-अंततः, याचिकाकर्ता का दावा नुकसान के भुगतान के लिए होगा-इसलिए, याचिकाकर्ता को अपने अधिकारों को आगे बढ़ाने की निशुल्क ता दी गई।

/

/

/

/

/

/

और मुआवजे का मामला स्थापित करने और भूमि पर उसके अधिकारों के अधीन क्षति के पुरस्कार के लिए उपचार एक सक्षम न्यायालय में स्थापित किया जा रहा है-विशेष अनुमति याचिकाओं का निपटारा।

असाधारण नागरिक न्यायनिर्णयः2017 की विशेष अवकाश याचिका (सी) No.27337।

/

2017 की रिट याचिका No.25595 में मद्रास में उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 03.10.2017 से।

सह

/

2017 की विशेष अवकाश याचिका (सी) No.35197

सुश्री किरण सूरी, वरिष्ठ अधिवक्ता, विवेक सिंह, सी. पी. राजवार, रोहन चंद्र, सुश्री सोमी शर्मा, चंद्र प्रकाश, सुश्री राखी रे, डी. कुमानन, सुश्री सुजीता श्रीवास्तव, विनोद कन्ना बी., अधिवक्ता।उपस्थित पक्षकारों के लिए।

/

डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई

1. याचिकाकर्ता पूर्ववर्ती मदुरावोयल नगर पंचायत के अध्यक्ष थे।28 नवंबर 2001 को, अध्यक्ष के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान, स्थानीय निकाय द्वारा सड़कों की एक सूची को घेरते हुए क्षेत्र में मलजल निकासी की सुविधा प्रदान करने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया गया था जिसमें रुक्मिणी नगर रोड, चेन्नई के वार्ड संख्या 147 को शामिल किया गया था।स्थानीय निकाय द्वारा किए गए अनुरोध के संदर्भ में एक योजना तैयार की गई थी।

/

2. 3 जून 2009 को सरकार ने 1 करोड़ रुपये की राशि खर्च करने के लिए प्रशासनिक मंजूरी दी।यह योजना 18 अगस्त 2009 को शुरू हुई थी।रुकमनी नगर रोड पर 110 मीटर के क्षेत्र को छोड़कर कोई आपत्ति नहीं होने के कारण मलजल निकासी की सुविधा स्थापित की गई थी।110 मीटर की सीमा को छोड़कर, रुक्मिणी नगर के ऊपर और नीचे दोनों ओर मलजल निकासी का मुख्य मार्ग बनाया गया था।याचिकाकर्ता ने 2011 में संपत्ति खरीदी, जिसमें वह सड़क भी शामिल थी, जिस पर प्रस्तावित सीवेज लाइन बिछाने की मांग की गई थी।

/

/

3. भूमि के स्वामित्व के संबंध में याचिकाकर्ता के दावे के संबंध में दीवानी न्यायालय के समक्ष कुछ दीवानी विवाद लंबित हैं।ए पर ध्यान दें

/

1101

ई. जेवानंदम बनाम एन. कोटेश्वर राव और ओआरएस। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई] ए

याचिकाकर्ता को चेन्नई महानगर जल आपूर्ति और सीवरेज अधिनियम, 1978 की धारा 67 (3) के अंतर्गत जारी किया गया था।याचिकाकर्ता ने सुझाव दिया कि सीवरेज लाइन बिछाने के लिए एक वैकल्पिक मार्ग लिया जाना चाहिए।19 जून 2015 को 1978 के अधिनियम की धारा 67 (3) के प्रावधानों को लागू करते हुए एक आदेश पारित किया गया था। इसने याचिकाकर्ता के कहने पर एक रिट याचिका को जन्म दिया।

/

4. रिट याचिका की सुनवाई के दौरान, एकल न्यायाधीश को सूचित किया गया कि रुक्मिणी नगर रोड के साथ 110 मीटर की सीमा को छोड़कर लगभग पूरा काम पूरा हो गया है।एकल न्यायाधीश ने अभिनिर्धारित किया कि यदि याचिकाकर्ता द्वारा मांगे गए पुनर्गठन को मंजूरी दी जाती है तो तीन सड़कों के निवासी मलजल निकासी सुविधाओं से वंचित हो जाएंगे।एकल न्यायाधीश ने निम्नलिखित टिप्पणी कीः

/

“यदि याचिकाकर्ता द्वारा मांगे गए पुनर्गठन का कार्य किया जाता है तो तीनों सड़कों के निवासी इस सुविधा से वंचित हो जाएंगे।सड़क को एक सार्वजनिक सड़क के रूप में दिखाया गया है जैसा कि विभिन्न दस्तावेजों के माध्यम से दायर जवाबी शपथपत्र में कहा गया है।वास्तव में इसे इस तरह से दिखाया गया है।याचिकाकर्ता की अध्यक्षता के कार्यकाल के दौरान भी, स्थानीय निकाय द्वारा इस योजना पर विचार और प्रस्ताव किया गया था।स्थानीय निकाय द्वारा भी दो मौकों पर सड़क को फिर से बनाया गया है।यह गंगा नगर और रुक्मिणी नगर के बीच केवल एक संपर्क सड़क है। "5. यह ध्यान में रखने के बाद कि याचिकाकर्ता स्वयं 2001 में प्रस्ताव का एक पक्ष था-जिसके बावजूद उसने 2011 में संपत्ति खरीदी थी, एकल न्यायाधीश ने याचिका को खारिज कर दिया।एकल न्यायाधीश ने कहा कि प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि एक सार्वजनिक सड़क थी जिसका उपयोग पिछले कुछ दशकों से किया जा रहा था और याचिकाकर्ता जिसने 2001 में एक अलग क्षमता में इस मुद्दे को निपटाया था, वह सीवर लाइन बिछाने से अनजान नहीं था, जिसने बाद में 2011 में संपत्ति खरीदी थी।

/

/

/

/

6. याचिकाकर्ता ने एकल न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ अपील दायर की।27 अप्रैल 2017 को, उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ ने राज्य सरकार को एक बेहतर विकल्प चुनने का निर्देश देते हुए अपील का निपटारा किया ताकि याचिकाकर्ता को होने वाले नुकसान को कम से कम किया जा सके।

1 “1978 ऐक्ट "

/

याचिकाकर्ता की भूमि में सीवर मुख्य और सीवर पम्पिंग स्टेशन का निर्माण।

7. इस बीच, मद्रास में उच्च न्यायालय के समक्ष एक सार्वजनिक हित याचिका 2 दायर की गई। याचिकाकर्ता को रिट याचिका के छठे प्रतिवादी के रूप में शामिल किया गया था।पी. आई. एल. वार्ड संख्या 147 के निवासियों की ओर से स्थापित की गई थी, जिन्होंने भूमिगत जल निकासी कार्य को पूरा करने के लिए निर्देश देने की मांग की थी ताकि उन्हें मलजल निकासी सुविधा का लाभ मिल सके।निवासियों ने कहा कि भूमिगत जल निकासी को पंपिंग स्टेशन से जोड़ने वाले 110 मीटर के हिस्से में पाइपलाइन बिछाने में विफलता के कारण 15,000 परिवार प्रभावित हुए हैं।

/

/

8. डिवीजन बेंच ने 3 अक्टूबर 2017 के अपने निर्णय में याचिकाकर्ता द्वारा स्थापित रिट याचिका को स्वीकार किया, जिसे 4 अप्रैल 2017 के एकल न्यायाधीश द्वारा खारिज कर दिया गया था। डिवीजन बेंच ने यह भी नोट किया कि 27 अप्रैल 2017 का एक अपीलीय आदेश था।कानून के प्रावधानों पर ध्यान देने के बाद, डिवीजन बेंच ने बोर्ड को पाइपलाइन बिछाने और तीन महीने के भीतर भूमिगत जल निकासी को पूरा करने का निर्देश देकर रिट याचिका का निपटारा कर दिया। आदेश के अंतिम पैराग्राफ से संकेत मिलता है कि याचिकाकर्ता को याचिका के निपटारे के अंतिम आदेश के साथ छठे प्रतिवादी के रूप में शामिल करने का निर्देश दिया गया था।

/

/

9. पहली विशेष अनुमति याचिका में चुनौती 3 अक्टूबर 2017 को डिवीजन बेंच के आदेश को दी गई है, जिसके द्वारा अधिकारियों को जल निकासी लाइन बिछाने का काम पूरा करने का निर्देश दिया गया है।डिवीजन बेंच के 27 अप्रैल 2017 के आदेश को चुनौती देने के लिए चेन्नई महानगर जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड द्वारा सहयोगी विशेष अनुमति याचिका दायर की गई है।

/

10. जहां तक संविधान के अनुच्छेद 136 के अंतर्गत दो विशेष अनुमति याचिकाओं में से पहली के संबंध में, याचिकाकर्ता को एक वैध शिकायत है कि जनहित याचिका में एक आदेश पारित किया गया था जो सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान किए बिना याचिकाकर्ता के अधिकारों को सीधे प्रभावित कर रहा था।जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, याचिकाकर्ता को आरोपित करने का आदेश तब पारित किया गया था जब जनहित याचिका का अंत में 3 अक्टूबर 2017 को निपटारा किया गया था।

/

2 “पी. आई. एल "

/

1103

ई. जेवानंदम बनाम एन. कोटेश्वर राव और ओआरएस। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई] ए

/

11. आम तौर पर, हम उच्च न्यायालय के आक्षेपित आदेश को दरकिनार करने और नए सिरे से विचार के लिए कार्यवाही को वापस करने के लिए इच्छुक होते।लेकिन इससे विवाद का सार हल नहीं होगा।जब डिवीजन बेंच के 3 अक्टूबर 2017 के आदेश से उत्पन्न विशेष अनुमति याचिका पर इस न्यायालय ने 27 अक्टूबर 2017 को नोटिस जारी करते हुए विचार किया, तो न्यायालय ने कहा कि यदि याचिकाकर्ता सफल होता है, तो वह विधि के अनुसार मुआवजे का हकदार होगा। ठहराव के आदेश के अभाव में, सीवरेज लाइन बिछाने का काम पूरा कर लिया गया है।बोर्ड द्वारा किया गया विकास कार्य क्षेत्र के निवासियों के लिए एक सार्वजनिक सुविधा के रूप में है। याचिकाकर्ता का अधिकार किसी भी तरह से संदेह से निशुल्क नहीं है क्योंकि यह एक नागरिक विवाद का विषय है।

/

/

12. इस पृष्ठभूमि में, डिवीजन बेंच के आक्षेपित आदेश अपास्त करते हुए से और जटिलताएं पैदा होंगी क्योंकि इस स्तर पर सीवरेज लाइन को हटाने का निर्देश देकर पूर्व स्थिति को बहाल करना मुश्किल होगा।अंततः, याचिकाकर्ता का दावा विधि के अनुसार स्थापित की जा रही संपत्ति के लिए याचिकाकर्ता के अधिकारों के अधीन, नुकसान के भुगतान और सीवरेज लाइन बिछाने के लिए मुआवजे के लिए होगा।

/

/

13. उपरोक्त कारणों से, याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील सुश्री किरण सूरी और बोर्ड की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्री जयदीप गुप्ता को सुनने के बाद, हमारा विचार है कि याचिकाकर्ता को जो राहत दी जानी चाहिए, वह उसे मुआवजे का मामला स्थापित करने और सक्षम न्यायालय में स्थापित की जा रही भूमि पर अपने अधिकारों के अधीन हर्जाने के पुरस्कार के लिए विधि के अनुसार अपने अधिकारों और उपायों को आगे बढ़ाने की स्वतंत्रता देने के लिए होगी।

/

14. 27 अप्रैल 2017 के डिवीजन बेंच के आदेश को बोर्ड द्वारा दी गई चुनौती की बाद के घटनाक्रमों को देखते हुए इस स्तर पर जांच की आवश्यकता नहीं है; सीवर लाइन बिछाने का काम विधिवत पूरा हो गया है।

/

15. दोनों विशेष अनुमति याचिकाओं का तदनुसार उपरोक्त टिप्पणियों के अधीन निपटान किया जाएगा जिसके द्वारा न्यायालय ने

/

याचिकाकर्ता को पहली विशेष अनुमति याचिका में विधि के अनुसार मुआवजे के लिए अपने दावे को आगे बढ़ाने और उस भूमि पर अपना अधिकार स्थापित करने के लिए स्वतंत्रता प्रदान की गई, जिस पर सीवेज लाइन बिछाई गई है।16. लंबित आवेदन, यदि कोई हों, का निपटारा कर दिया जाता है।

/

एस. एल. पी. का निपटान किया गया।

/

/

/

/

/

/